राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

पत्र संख्याः 144/SPMU/NHM/Misc/2024-25/ 4214
दिनांक 01-10- 2024

कार्यालय–आदेश

शासनादेश संख्याः 08/2024/513/सैतालिस–का–1–2024–13(5)/1998 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को आचरण नियमावली का अनुपालन किये जाने एवं कोई ऐसा कार्य न किया जाये, जोकि आचरण नियमावली के विपरीत हो, हेतु आदेशित किया गया है, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त नियमों/व्यवस्थाओं का उल्लंघन किये जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का तत्काल कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कर्मियों द्वारा निजी हित/अनावश्यक रुप से कार्यालय के सूचनाओं/दस्तावेजों को अन्यत्र साझा न करें। उक्त दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, उल्लंघन गम्भीर प्रकृति का होने की दशा में सेवा–समाप्ति की भी कार्यवाही की जा सकती है।

28/09/24

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक।

पत्र संख्याः 144/SPMU/NHM/Misc/2024-25/

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, मण्डलीय परियोजना प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि जनपद से समन्वय स्थापित कर निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन कराये जाने हेतु।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 को निर्देशों के अनुपालनार्थ।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मियों को अनुपालनार्थ।

(सुधा यादव)
महाप्रबन्धक, मानव संसाधन

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

डॉ देवेश चतुर्वेदी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों द्वारा संचार के माध्यमों (मीडिया) का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 प्रभावी है। उक्त आचरण नियमावली के नियम-3(2) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।

2- उक्त नियमावली के नियम-6, 7 एवं 9 में समाचार पत्रों या रेडियों से सम्बन्ध रखने एवं सरकार की आलोचना आदि के सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधान किए गए हैं:-

नियम- 6 समाचार पत्रों(Press) या रेडियों से सम्बंध रखना

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा न उसका संचालन करेगा और न उसके सम्पादन-कार्य या प्रबंध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा मे, जब की ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति-पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

4- उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में मीडिया का स्वरूप विस्तृत हो चुका है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित मीडिया प्रमुखता से सम्मिलित है:-

1. प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि)
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया (रेडियो एवं न्यूज चैनल इत्यादि)
3. सोशल मीडिया (फेसबूक, एक्स (पूर्व में ट्रिवटर) वाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि। सोशल मीडिया के यह प्लेटफार्म अनन्तिम रूप से उल्लिखित किये गये है।)
4. डिजिटल मीडिया (समाचार पोर्टल इत्यादि)

अत: उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 में जहां-जहां समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारण का उल्लेख आया है, वह सभी अवयव, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के साथ-साथ वर्तमान परिदृश्य में मीडिया के सभी सम्भावित प्रचलित स्वरूप से प्रतिस्थापित समझा जाए।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियमावली के प्राविधानों एवं शासन के उक्त निर्वचन एवं निर्देशों को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संज्ञानित कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। यह भी देखा जाए कि सरकारी सेवा के किसी भी कार्मिक द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य न किया जाए, जो आचरण नियमावली के विपरीत हो। यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियमों/व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए, तो उसके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही भी की जाए।

भवदीय,
डॉ देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-8/2024/513/सैतालीस-का-1-2024-13(5)/1998,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner